न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद
न्यायालय संख्या–2, सुपौल।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–621 / 2026
सत्र वाद उत्पाद सं0–2035 / 2026
वीरपुर थाना कांड संख्या–121 / 2026
सुबोध मंडल उर्फ सुबोध कुमार एवं अन्य एक
बनाम्
बिहार सरकार

दिनांक 20 / 05 / 2026

यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक–अभियुक्तगण, सुबोध मंडल उर्फ सुबोध कुमार एवं मालती देवी की ओर से दाखिल किया गया है, जो वीरपुर थाना कांड संख्या–121 / 2026, अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2022 के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है एवं आवेदन दाखिल किया गया। प्रस्तुत वाद इसी न्यायालय में लंबित है।

आवेदक–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक–अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक–अभियुक्तगण के तरफ से इससे पूर्व कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद में जप्त शराब से प्रार्थी को कोई मतलब वो सरोकार नहीं है। आवेदक–अभियुक्तगण का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक–अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने को तैयार है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते है कि आवेदक–अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए आवेदन खारिज करने की मांग करते हैं।

प्रस्तुत वाद के सूचक, सुधीर कुमार सिंह, पु0अ0नि0 के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक / अभियुक्तगण के विरूद्ध वीरपुर थाना कांड संख्या–121 / 2026, धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2022 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। काण्ड के सूचक ने टंकित आवेदन इस आशय का दाखिल किया है कि दिनांक 14.03.2026 को संध्या में गस्ती के दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सुबोध मंडल एवं मालती देवी अपने घर पर अवैध शराब का कारोबार करते हैं। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए आरोपी के घर के पास पहुॅचा तो देखा की एक महिला एवं एक पुरूष रात्रि का फायदा उठाते हुए अपने घर से निकलकर पीछे के रास्ते भाग रहे हैं। तलाशी नियमों का पालन करते हुए आरोपी के घर का तलाशी लेना प्रारंभ किया। तलाशी के क्रम में आरोपी के घर में रखा हुआ 02 प्लास्टिक का बोरा बरामद हुआ। बोरा को बारी–बारी से खोलकर देखने पर 1. डी0ए0पी उर्वरक

लगातार

लगातार
20.05.2026

लिखा हुआ एक हरा रंग के प्लास्टिक के बोरा में 84 बोतल, प्रत्येक बोतल 300 मि0ली0 का कुल 25.2 ली0 दिलवाले सोफी नेपाली देशी शराब एवं ए0डी0पी0एल0 मंसूरी राईस लिखा हुआ एक पिला रंग के प्लास्टिक के बोरा में 45 बोतल, प्रत्येक बोतल 300 मि0ली0 का कुल 13.50 ली0 ब्रिक्स रसियन फ्लेवर ग्रेन नेपाली देशी शराब बरामद हुआ। कुल बरामद शराब की मात्रा 38.7 ली0 है।

आवेदक–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक–अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है एवं आवेदक–अभियुक्तगण के घर का तलाशी लिया गया तो आवेदक–अभियुक्तगण के घर में रखा हुआ 02 प्लास्टिक का बोरा बरामद हुआ। बोरा को बारी–बारी से खोलकर देखने पर 1. डी0ए0पी उर्वरक लिखा हुआ एक हरा रंग के प्लास्टिक के बोरा में 84 बोतल, प्रत्येक बोतल 300 मि0ली0 का कुल 25.2 ली0 दिलवाले सोफी नेपाली देशी शराब एवं ए0डी0पी0एल0 मंसूरी राईस लिखा हुआ एक पिला रंग के प्लास्टिक के बोरा में 45 बोतल, प्रत्येक बोतल 300 मि0ली0 का कुल 13.50 ली0 ब्रिक्स रसियन फ्लेवर ग्रेन नेपाली देशी शराब बरामद हुआ। अतः आवेदकों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होते है। काण्ड में अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं इस कांड में कुल मात्रा–38.7 लीटर शराब बरामद होने के कारण आवेदक–अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ना न्यायसंगत और उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक–अभियुक्तगण, सुबोध मंडल उर्फ सुबोध कुमार एवं मालती देवी का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

प्रभारी, अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद)
न्यायालय संख्या–02, सुपौल।
20.05.2026